उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(भूमि अर्जन अनुभाग)

(आई0एस0ओ0 9001—2000 द्वारा प्रमाणित संस्था)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
website:http://www.upavp.com E-mail : upavp@sanchar.net.in

आई0एस0ओ0 द्वारा प्रमाणित
BVQi ISO 9001 UKAS QUALITY MANAGMENT

पत्र संख्या : 1773/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांकः 10.08.2010

नोटिस

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम—1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या—1, 1966) की धारा—28 के अन्तर्गत नोटिस।

लखीमपुर खीरी शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा लखीमपुर खीरी में **''राजापुर एल0आर0पी0 रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखीमपुर खीरी''** बनाई गयी है। इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत हैंः—

उत्तरः— लखीमपुर खीरी—बहराइच (एल0आर0पी0) रोड ग्राम—बरखेरवा व ग्राम—राजापुर, परगना व तहसील व जिला लखीमपुर खीरी।

पूरबः— सीतापुर—लखीमपुर खीरी—मैलानी रेलवे लाइन तथा खसरा नम्बर 890 (मुडिया खेडा मार्ग) ग्राम—राजापुर, परगना व तहसील व जिला लखीमपुर खीरी।

दक्षिणः— खसरा नम्बर 635 भाग, 636 भाग, 638, 644, 645, 646 भाग, 479 भाग, 480, 469 भाग, 447 भाग, 446 भाग, 449 भाग, 441 भाग, 437 भाग, 433 भाग, 345, 346, 347, 348, 342 भाग, 312 भाग, 311 भाग, 315 भाग तथा नहर ग्राम—राजापुर, परगना व तहसील व जिला लखीमपुर खीरी।

पश्चिमः— सीतापुर—लखीमपुर खीरी पक्की सड़क तथा खसरा नम्बर 245 भाग, 255, 262 भाग, 270, 269, 268, 267, 273 भाग, 283, 282, 281, 277, 276, 275, 274, 238, 237, 223, 222, 221, 220, 219 ग्राम राजापुर परगना व तहसील व जिला लखीमपुर खीरी।

यह घोषणा की जाती है कि जब परिषद की राय में उपरोक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिए अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा, तो योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के संबंध में भूमि के स्वामी अथवा उसमें स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा असुधार शुल्क उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उपरोक्त क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड—13 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, तृतीय तल, इन्दिरा नगर लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ0प्र0 सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से संबंधित आपत्तियाँ कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड—13 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी, काम्पलेक्स तृतीय तल इन्दिरा नगर लखनऊ में ली जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही नाम आपत्तिकर्ता का नाम, आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन का पूर्ण विवरण तथा ग्राम का नाम, खसरा नम्बर क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

(एम0वी0एस0 रामीरेड्डी)
आवास आयुक्त

Size : 17x12 = 204 sq.cms. **Satya Advt. Agency**